

बिहार विधान सभा में प्राप्त शून्यकाल सूचना

<p>डॉ० दाउद अली, माननीय स०वि०स० द्वारा सदन में दिनांक-04.04.13 को प्राप्त शून्यकाल सूचना के कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में।</p>	<p>श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना</p>
<p>शून्यकाल सूचना</p>	<p>उत्तर</p>
<p>बक्सर जिलान्तर्गत नावानगर प्रखंड के ग्राम बासुदेवा अमृत राय के डेरा में 27.03.2013 को हुये अग्निकांड में घर मकान, माल मवेशी आदि जलकर राख हो गया। लोग खुले आकाश में रह रहे है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तत्काल तिरपाल आदि के व्यवस्था करते हुए पुनः पुनर्वासित किया जाय।</p>	<p>ग्राम बासुदेवा अमृत राय के डेरा में हुए अग्निकाण्ड में कुल पांच पीड़ित परिवारों को (जिसमें 02 पूर्ण एवं 03 आंशिक) सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप बर्तन, वस्त्र एवं अनुग्रह अनुदान के रूप में पूर्णतः क्षतिग्रस्त परिवार को 4,200/- रुपये एवं आंशिक क्षतिग्रस्त परिवार को 2,800/- रुपये तत्काल मुहैया कराया गया है एवं मुफ्त में खाद्यान्न (गेहूँ+चावल) 01 क्वींटल (पूर्णतः क्षतिग्रस्त परिवार) एवं 50 किलो ग्रा० (आंशिक क्षतिग्रस्त परिवार) को उपलब्ध करा दिया गया है। नियमानुसार इंदिरा आवास हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावानगर को निदेश दिया गया है।</p>

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04/वि०स०शू०का०-81/2013/...../आ०प्र०, दिनांक -

प्रतिलिपि अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक -943 दि०-27.04.2013 के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक -04/वि०स०शू०का०-81/2013/.....²⁷⁶⁴...../आ०प्र०, दिनांक - 8/7/13.

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई०टी० मैनेजर, आ०प्र० विभाग को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी